पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पायका)
परिचय एवं मुख्य घटक

भारत सरकार की राष्ट्रीय खेल नीति 2001 में ग्राम स्तर पर आधारित खेल गतिविधियों पर विशेष जोर देते हुए खेलों के राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर उन्नयन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। परिणामतः भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6–1/2007–Sp.–IV दिनांक 06.05.2008 द्वारा 'पंचायत युवा क्रीडा एवं खेल अभियान' की गाइड लाईन जारी करते हुए देश के सभी राज्यों में इसके क्रियान्वयन की घोषणा की गई है। गाइड लाईन को पुनः दिनांक 09.04.2009 को परिमार्जित किया गया है।

(क) योजना का राज्य में क्रियान्वयन :–

(अ) कार्यकारी समितियों का गठन

योजना के राज्य में क्रियान्वयन हेतु निम्न कार्यकारी समिति गठित की गई है :–

स्तर	अध्यक्ष	सदस्य सचिव	सदस्य
राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति	मुख्य सचिव	सचिव रा.रा.क्री.प.	1. शासन प्रमुख सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग 2. शासन प्रमुख सचिव, पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग 3. शासन प्रमुख सचिव, जनजाति विकास 4. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा 5. शासन सचिव, महिला विकास विभाग 6. क्षेत्रीय सामुदायिक भारतीय खेल प्राधिकरण 7. मण्डल निदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन
जिला स्तरीय कार्यकारी समिति	1. जिला प्रमुख 2. जिला कलक्टर (उपाध्यक्ष)	जिला खेल अधिकारी	1. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी 2. जिला शिक्षा अधिकारी 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी 4. जिला समाज कल्याण अधिकारी 5. जिला युवा समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन
ब्लॉक स्तरीय कार्यकारी समिति	विकास अधिकारी, संबंधित स्कूल का प्रधानाध्यापक, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं क्रीडाश्री		
पंचायत स्तरीय कार्यकारी समिति	संबंधित पंचायत का सरपं, संबंधित स्कूल का प्रधानाध्यापक, संबंधित पंचायत का ग्राम सेवक एवं क्रीडाश्री		

(ब) क्रीडा परिषद् नोडल एजेन्सी

राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक प 3 (2) खेल/2006 दिनांक 23.10.2008 के द्वारा रा.रा.क्री.परिषद् को राज्य की नोडल एजेन्सी बनायी गई है।

(स) योजना का क्रियान्वयन जिला परिषदों व खेल अधिकारियों के माध्यम से

दिनांक 13.05.2009 के द्वारा पायका योजना में निधियॉ जिला परिषदों को हस्तान्तरित करवाकर योजना का क्रियान्वयन कराया गया है, तद्नुसार वर्ष 2008–09 में योजना निधिया जिला परिषदों को हस्तान्तरित की गई है जिला खेल अधिकारियों का प्रशासनिक हस्तक्षेप सीमित रूप में ही रहा है।

(ख) योजना के घटक

योजना के उद्देश्यों में प्रमुखतः ग्रामीण स्तर पर नियमित गतिविधियों के माध्यम से खेल का बेहतर वातावरण तैयार करना है। इसके लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए योजना में निम्न घटक बनाये गये है :–

1. एक मुश्त पूंजीगत अनुदान (**One time capital grant**)

   यह अनुदान केन्द्र प्रवर्तित सहायता के रूप में खेलों की आधारभूत संरचना के विकास हेतु 75:25 समरूप अंशदान अनुपात में क्रमशः केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा योजना प्रारम्भीकरण में 10 वर्षो (1916–17) तक प्रदान किया जावेगा। इस अनुदान से खेल मैदानों का विकास, समतलीकरण आदि कार्य चयनित ग्रामों में किया जा सकेगा।

   योजना मे राजस्थान की कुल 9168 ग्राम पंचायतों में से प्रथम चार वर्षो तक 10% पंचायतों का चयन उक्त योजना में किया जायेगा, तत्पश्चात् 12 % ग्राम पंचायतों का चयन किया जायेगा ताकि योजना अवधि (1916–17) में राज्य की समस्त पंचायतें लाभान्वित हो सके।

2. वार्षिक अधिग्रहण अनुदान (**Annual Acqusiton Grant**)

   यह अनुदान भारत सरकार द्वारा पॉच वर्षो तक समस्त पायका खेल केन्द्रों पर विभिन्न चयनित खेलों के खेल उपकरण तथा सहायक सामग्री के लिए प्रदान किया जावेगा जो पूर्णतः केन्द्रीय अनुदानित होगें।

3. <u>वार्षिक प्रचलानात्मक (**Operational**) अनुदान :–</u>

समस्त ग्राम/ब्लॉक पंचायत पायका खेल केन्द्रों पर एक–एक क्रीडाश्री मानदेय पर लगाये जाने का प्रावधान है। यह अनुदान भी भारत सरकार द्वारा पॉच वर्षो तक क्रीडाश्री को मानदेय, खेल उपकरण संधारण व खेल मैदानों की संरचना के रख–रखाव हेतु पूर्णतः प्रदान किया जाता है, बाद में इसमें कार्यालय उपकरण व MIS जैसे मद भी शामिल कर लिये गये है।

4. <u>वार्षिक प्रतियोगिता अनुदान (**Annual Competition Grant**) :–</u>

विगत वर्षो में ग्रामीण खेल प्रतियोगिताऐं राज्य सरकार द्वारा आयोजित करायी जाती रही है। इस आयोजन को 'पायका' योजना के समाहित करते हुए ब्लॉक, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक प्रतियोगिताओं के आयोजन पायका योजना में किया जाता है। ब्लॉक एवं जिला स्तर प्रतियोगिताओं के आयोजन का समस्त व्यय केन्द्र सरकार द्वारा अनुदानित होता है, परन्तु खिलाडियों के आने–जाने का किराया राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता पर आने वाला व्यय राज्य सरकार को वहन करना होता है। इसमें कुछ निर्धारित सहायता केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है।

5. <u>प्राइज मनी :–</u>

उक्त प्रतियोगिताओं में ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर प्रथम तीन स्थान पर आने वाले ऑवर ऑल चैम्पियन ग्राम पंचायत को ईनामी राशि दिये जाने का प्रावधान है।

6. <u>राज्य के चयनित खेल :–</u>

राजस्थान राज्य द्वारा पायका योजना में निम्नलिखित 10 खेलों का चयन किया गया है:–

1. एथलेटिक्स	2. फुटबाल	3. हैण्डबाल	4. हॉकी
5. जूडो	6. कबड्डी	7. खो–खो	8. कुश्ती
9. तीरन्दाजी	10. वॉलीबाल		